झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

संकल्प

सं०सं०– सी०एस०–02/आर०–01/05 807 / रांची, दिनांक– 31 मई, 2011 ई०।

विषयः– **योजना एवं वाह्य पोषित योजनाओं (विश्व बैंक सहित) की समीक्षा एवं स्वीकृति संबंधी निर्गत संकल्प संख्या–802, दिनांक 18 मार्च, 2005 को निरस्त करने के संबंध में।**

राज्य योजना, केन्द्रप्रायोजित योजनाओं, केन्द्रीय योजनागत योजनाओं एवं वाह्य पोषित योजनाओं की समीक्षा एवं उसकी स्वीकृति सी०ओ०बी०टी० के माध्यम से किये जाने संबंधी प्रक्रियाओं का निर्धारण मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या–802, दिनांक 18 मार्च, 2005 द्वारा किया गया था। दिनांक 24 मई, 2011 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में अन्यान्य मद संख्या–28 के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा योजना एवं वाह्य पोषित योजनाओं (विश्व बैंक सहित) की समीक्षा तथा C.O.B.T. की स्वीकृति के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या– 802 दिनांक 18 मार्च 2005 को निरस्त किया जाय एवं विभागों में ली जा रही विभिन्न योजनाओं में क्षेत्रीय सन्तुलन सुनिश्चित करने की कार्रवाई योजना एवं विकास विभाग द्वारा की जाय।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा योजना एवं वाह्य पोषित योजनाओं (विश्व बैंक सहित) की समीक्षा तथा C.O.B.T. की स्वीकृति के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या– 802 दिनांक 18 मार्च 2005 को निरस्त किया जाता है एवं विभागों में ली जा रही विभिन्न योजनाओं में क्षेत्रीय सन्तुलन सुनिश्चित करने की कार्रवाई योजना एवं विकास विभाग द्वारा की जायेगी।

3. इसे तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त समझा जायेगा।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Aditya 31/5/2011

(आदित्य स्वरूप)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– सी०एस०–02/आर०–01/05 807 / रांची, दिनांक 31 मई, 2011।

प्रतिलिपिः महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ मुख्य सचिव के सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Aditya 31/5/2011

(आदित्य स्वरूप)
सरकार के प्रधान सचिव

कृ.पृ.ऊ.

ज्ञापांक– सी0एस0–02 / आर0–01 / 05 807 / रांची, दिनांक 31 मई, 2011।

प्रतिलिपिः विकास आयुक्त, झारखण्ड, / सचिव, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Aditya 31/5/2011

(आदित्य स्वरूप)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– सी0एस0–02 / आर0–01 / 05 807 / रांची, दिनांक 31 मई, 2011।

प्रतिलिपिः अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखंड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए उनकी 100 प्रतियाँ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Aditya 31/5/2011

(आदित्य स्वरूप)
सरकार के प्रधान सचिव